

## दिनांक 31/12/2017 तक धारित की गई अचल संपत्ति का विशेष विवरण

1- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा नाम जिसमें वह हो	श्री गुरु प्रसाद पाराशर राज्य पुलिस सेवा
वर्तमान धारित पद	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
वर्तमान नियुक्ति के समय का वेतन	8000/-
प्रथम नियुक्ति का पद नाम	उप पुलिस अधीक्षक दिनांक 17/02/2000
वर्तमान पद का कुल वेतन	कुल वेतन 95400

उस जिले संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति अर्जित करने का दिनांक व उस समय का मूल्य	संपत्ति का वर्तमान मूल्य	यदि संपत्ति स्वयं के नाम पर ना हाता बताईय कि किसके नाम पर ह और उसका शासकीय सेवक स क्या संबंध में	उसे किस प्रकार अर्जित किया खरीदी पट्टा बंधक विरासत भंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की गयी उसका नाम तथा ब्यौरा	
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम महुआ तहसील लहार जिला भिण्ड	पुस्तैनी घर व खुती योग्य जमीन	कृषि भूमि	गृह तथा भूमि अथवा अन्य प्लॉट आवासीय एवं कृषि भूमि	20 लाख रुपये लगभग	संयुक्त	पैतृक
ग्राम महलगांव तहसील लश्कर जिला ग्वालियर	रिहायशी प्लॉट क्रमांक 40 विद्याविहार ग्वालियर	आवासीय भूखण्ड		20 लाख रुपये लगभग	स्वयं के पिता द्वारा राशि देन पर कय दिनांक 03/04/97	पिता द्वारा राशि देने पर कय दिनांक 03/04/97
ग्राम अंडलिया तहसील इंदौर जिला इंदौर	रिहायशी प्लॉट क्रमांक 294 इनफो सिटी इंदौर	आवासीय भूखण्ड	स्वयं की रजिस्ट्र दिनांक 16/01/09	10 लाख रुपये लगभग	-	सुदरदीप कंट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड की तरफ से डायरेक्टर पयंक जैन निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर स ग्रय किया

(2)

यदि विरासत में नहीं तो शासन को सूचना देने अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं हो तो उसके लिये बचाए गए वित्तीय साधन का पूर्ण विवरण जिनसे नगर ऋण या भेंट ली है उसका पूरा विवरण दिया जावे	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार किया गया है व सुधार व कीमत का वित्तीय साधनो का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया अनुमति ली गई है	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तारित किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभियुक्त
8	9	10	11	12	13	14
निल	निल	निल	निल	01 लाख रुपये	निल	निल
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल
दिनांक 31/01/2009 को अनुमति प्राप्त की गई	05 लाख रुपये प्लॉट विक्रय स ढाई लाख पिता द्वारा प्रदत्त	निल	निल	निल	निल	निल

- जहा नियम लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय
- इनमें अप्कालीन पटटे भी सम्मिलत है ।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण)नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी सेवा केप्रत्येक सदस्य यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करं और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के ना याा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति ।

हस्ताक्षर.....

नाम:- गुरुप्रसाद पाराशर

पद:- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जबलपुर

विभाग:- पुलिस विभाग